अनुसूची–1–फारम सं0 563

| आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3 |
|---|---|---|
| 09/11/11 | न्यायालय -अनुमण्डल दण्डाधिकारी,अरवल ।<br>वाद सं0 - 586/11 धारा- 145 दं0प्र0सं0.<br>उपेन्द्र विश्वकर्मा बनाम् बैजु विश्वकर्मा वगै.<br>यह कार्यवाही थानाध्यक्ष के प्रतिवेदन के आधार पर धारा- 144 दं0 प्र0 सं0 से परिवर्तित धारा - 145 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत वाद संचालित है ।<br>प्रथम पक्ष को समय दिए जाने के बाद भी लगातार अनुपस्थित है । वाद एकपक्षीय करते हुए सुनवाई पर उपस्थापित ।<br>प्राप्त प्रतिवेदन को अवलोकन किया एवं द्वितीय पक्ष के लिखित बहस का भी अवलोकन किया । द्वितीय पक्ष अपने लिखित बहस के कंडिका 02 में कहते है कि प्रश्नगत भूमि पर दखल -कब्जा को लेकर न तो कोई तनाव है । ना हीं शांति भंग होने की सम्भावना है । आगे कहते हैं कि प्रश्नगत भूमि वजरीये निबंधित केवाला से श्रीमति यशोदा देवी को 24/1/2006 को प्राप्त हुआ है। जिन्हें उक्त वाद में पार्टी नहीं बनाया गया है । इस प्रकार यह वाद नन- ज्वाइंडर ऑफ पार्टी से ग्रसित है । ऐसी परिस्थिति में वाद एक क्षण भी | चिरकुट सं0 282 दिनांक 23/11/2011 के प्रतिलिपि निर्गत किया गया। |

अनुसूची14–फारम सं0 563

| आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3 |
|---|---|---|



चलने योग्य नहीं है । कौंडका 6 में द्वितीय पक्ष का कथन है कि पार्टीशन सूट नं0 - 64/2008 उक्त भूमि के संदर्भ में नहीं है पार्टीशन सूट नं0 - 64/2008 का अवलोकन किया । पार्टीशन सूट नं0 - 64/2008 के शिड्यूल । में खाता नं0 90 प्लौट नं0 - 583/597 रकवा 1 डी0 स्पष्ट अंकित है । जो कुंवर विश्वकर्मा का नाम से है ।

उपर्युक्त तथ्यों एवं दाखिल काबजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत खाता खेसरा की भूमि को लेकर उभय पक्ष जो एक ही वंश बृक्ष के सदस्य है , के बीच वास्तविक रूप से बटवारा को लेकर विवाद है ।

अत: उपयुक्त तथ्यों के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।
उभय पक्ष शांति व्यवस्था बनाये रखें ।
आदेश से विज्ञ अधिवक्ता को अवगत करावें ।
लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
अरवल ।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
अरवल ।